शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर

जिला - रायपुर (छ.ग.)

स्थापना वर्ष – 1989

मूल्य – 50/– रू.

शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर
जिला - रायपुर (छ.ग.)
सत्र – 2016–17

रायपुर जिले की तहसील अभनपुर में, अभनपुर-राजिम मुख्य मार्ग पर स्थित नगरीय कोलाहल से विलग इस महाविद्यालय की स्थापना जुलाई 1989 में की गई थी। महाविद्यालय को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से मान्यता एवं संबद्धता प्राप्त है। इस महाविद्यालय में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के विषयों की अध्ययन व्यवस्था है ।

सत्र 1997-98 में इस संस्था में स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी विषय का अध्यापन आरंभ हुआ एवं सत्र 2003-04 में राजनीति विज्ञान में भी स्नातकोत्तर स्तर पर कक्षाएँ आरम्भ की गयी, तथा सत्र 2012-13 में स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय की कक्षाएँ प्रारंभ की गयी है।

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन, जनप्रतिनिधियों, जनभागीदारी समिति, नागरिकों एवं महाविद्यालय परिवार के बहुमूल्य सहयोग से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट मानक एवं गुणवत्ता आधारित उच्च शिक्षा प्रदान करने यह महाविद्यालय कृत संकल्प है ।

महाविद्यालय के पास स्वयं का भवन एवं खेल मैदान एवं परिसर है।

सामान्य विवरण

1.0 उपलब्ध अध्ययन व्यवस्था

स्नातक स्तर

(क) कला संकाय (बी.ए. भाग-1)

अनिवार्य विषय -

(1) हिन्दी भाषा (2) अंग्रेजी भाषा (3) पर्यावरण

वैकल्पिक विषय -

(1) समाजशास्त्र (2) अर्थशास्त्र (3) राजनीति शास्त्र (4) हिन्दी साहित्य (5) इतिहास (6) भूगोल

उपर्युक्त छ: विषयों में से कोई तीन वैकल्पिक विषय चुने जा सकते हैं। वैकल्पिक विषय के चयन के संबंध में विश्वविद्यालयीन नियम अंततः मान्य होंगे।

(ख) विज्ञान संकाय

(बी.एस.-सी. भाग-1)

वैकल्पिक विषय :-

(1) जीव विज्ञान समूह -

1. प्राणी शास्त्र 2. वनस्पति शास्त्र 3. रसायन शास्त्र

(2) गणित समूह -

1. भौतिकी 2. गणित 3. रसायन शास्त्र

अनिवार्य विषय :- आधार पाठ्यक्रम

1. हिन्दी भाषा 2. अंग्रेजी भाषा 3. पर्यावरण अध्ययन

(ग) वाणिज्य संकाय :- समस्त अनिवार्य विषय

(बी.कॉम)

टीप :- बी.ए. /बी.एस.-सी./बी.काम. भाग-2 एवं 3 में विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

स्नातकोत्तर स्तर -

एम.ए. - हिन्दी साहित्य, राजनीति शास्त्र

2.0 विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित छात्रों की संख्या -

बी.ए. पार्ट - 1	-	300
बी.एस.-सी. पार्ट-1	-	
बायो	-	120
गणित	-	50
बी.काम. पार्ट-1	-	120
एम.ए. प्रथम सेमेस्टर हिन्दी	-	40
एम.ए. प्रथम सेमेस्टर राजनीति	-	40

3.0 प्रवेश हेतु नियम -

1. महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार दिया जायेगा ।
2. छत्तीसगढ़ बोर्ड अथवा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य बोर्ड विश्वविद्यालय से आने वाले छात्र/छात्राओं को प्रवजन प्रमाण-पत्र जमा करना होगा ।
3. महाविद्यालय में छात्रों को दिया गया प्रवेश जब तक पं. रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा मान्य न हो तब तक अस्थाई रहेगा। अर्हता के संबंध में अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा ।
4. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले समस्त छात्र-छात्राओं को नामांकन फार्म भरना होगा ।
5. अमहाविद्यालयीन उत्तीर्ण छात्रों को नियमित प्रवेश लेने पर नामांकन शुल्क देना होगा एवं नामांकन फार्म भरना होगा ।

नामांकन के लिए समस्त कक्षाओं की अंक सूचियों की सत्यापित छायाप्रति/पात्रता प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं गैप होने पर गैप प्रमाण नामांकन फार्म के साथ संलग्न करना होगा । विश्वविद्यालय नामांकन फार्म प्रवेश की अंतिम तिथि के एक सप्ताह के अंदर अनिवार्यतः जमा करना होगा ।

महाविद्यालय की स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन सिद्धांत के अनुसार दिया जायेगा।

1.0 प्रयुक्ति :-

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे ।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है ।

2.0 प्रवेश की तिथि :-

2.1 **प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना-** महाविद्यालय में प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र, जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें ।

2.2 **प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना-** स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे । परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी ।

2.3 **पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना-** संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा ।

2.4. **पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के लिये प्रवेश की अंतिम तिथि-** पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को भी स्थान रिक्त होने पर गुणानुक्रम के आधार पर कंडिका 1.2 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निर्धारित तिथि तक प्रवेश की पात्रता होगी । अन्य कक्षाओं में 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से अस्थायी प्रवेश देने हेतु प्राचार्य सक्षम होंगे तथा पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के नियमित प्रवेश के लिये आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय में पूरक परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन जो भी पहले हो, मान्य होगी ।

3.0 प्रवेश सूची :-

3.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहाँ अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी ।

3.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी । प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर "प्रवेश दिया गया" रद्द करना चाहिये ।

3.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा । प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये ।

3.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/-अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

3.5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये । स्थानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में, निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाय । पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है । इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये ।

3.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारीकरेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं । ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है ।

4.0 प्रवेश की पात्रता :-

4.1 **निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा-**

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू एवं कश्मीर विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है ।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी ।

4.2 **स्नातक स्तर पर नियमित प्रवेश :-**

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी । किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी । स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी ।

4.3 **स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश-**

(क) बी.कॉम./बी.एच.एस-सी./बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम/एम.एच.एस-सी./ एम.ए. पूर्व एवं आवेदित विषय लेकर, बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी/एम.ए. पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।

5.0 समकक्ष परीक्षा :-

5.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फॉर सेकेण्डरी एजूकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 के समकक्ष मान्य है । प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं ।

5.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है । उस्मानिया एवं काकतीय विश्वविद्यालय, जैसे बी.ए./बी. कॉम डायरेक्ट वन सिटिंग परीक्षाएं मान्य नहीं है ।

5.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालयों या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध महाविद्यालय से प्राप्त करें ।

6.0 बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

6.1 स्नातक स्तर पर बी.ए./बी.कॉम में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे । आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये ।

6.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जाये ।

6.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है ।

6.4 अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा ।

6.5 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी ।

7.0 प्रवेश हेतु अर्हताएँ :-

7.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ पत्र जिसमें प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा ।

7.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है और या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/ अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृत है ।

7.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैंगिग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिये अधिकृत है । प्राचार्य इस हेतु कमेटी गठित कर जाँच करवाये एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये । ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

7.4 स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी । परन्तु आयु सीमा के बन्धन में छात्राओं अनुसूचित जाति/जनजाति एवं निःशक्त अभ्यार्थियों को 3 वर्ष की छूट रहेगी ।

7.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा ।

7.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को, विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

8.0 प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

8.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा ।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर, तथा

8.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी ।

9.0 प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

9.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/ में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा ।

9.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा ।

10.0 आरक्षण

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

10.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात :-

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगी ।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी ।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी ।

परन्तु जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा ।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

10.2 (1) बिन्दु क्रमांक 10.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा ।

(2) निशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कर्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, तथा यह बिन्दु क्र. 10.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथा स्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा ।

10.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे । विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों को 10 प्रतिशत अंकों का अधिकार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा ।

10.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे ।

10.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटे यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी ।

10.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी ।

10.7 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये ।

10.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये ।

10.9 अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा । अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा । अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है । आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा ।

11.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/सेवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे ।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट	03 प्रतिशत
(ग)	"सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी.	05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
(झ)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत

(य) ड्यूक ऑफ एडिनब अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट 15 प्रतिशत

(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय के लिये चयनित करने वाले विद्यार्थियों को 15 प्रतिशत

11.2 **खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएँ :-**

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.4 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय संगठन द्वारा आयोजित अर्न्तक्षेत्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में-

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत

11.3 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रयास करने वाले दल के सदस्यों को

11.4 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-

(क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्यों को 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत

12.0 संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5% घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुए प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति ही विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

13.0 विशेष

13.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य का होगा।

13.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

13.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

13.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा ।

13.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये ।

13.6 इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा को है । इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा ।

महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता

सामान्य नियम –

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा तथा अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा । साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित अन्य शैक्षणोत्तर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग करेगा ।
2. वह महाविद्यालय परिसर में शालीन व्यवहार करेगा तथा अपने शिक्षकों/कर्मचारियों से नम्रता पूर्वक व्यवहार करेगा ।
3. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्त्तव्य है ।
4. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना दीवारों को गंदा करना या अनर्गल बाते लिखना सख्त मना है । विद्यार्थी के असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी ।
5. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा ।
6. वह महाविद्यालय परिसर में शालीन व्यवहार करेगा, अभ्रद व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग मारपीठ इत्यादि नहीं करेगा ।
7. यदि कोई छात्र किसी अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में शामिल पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त किया जावेगा ।
8. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा ।

अध्ययन संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी । अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा । उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा ।
3. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा । उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होंगी । तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा ।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा ।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा ।

परीक्षा संबंधी नियम

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा प्री फाइनल परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है ।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा ।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा ।

महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएं

1.0 **ग्रंथालय –** महाविद्यालय में ग्रंथालय की सुविधा उपलब्ध है ।
ग्रंथालय की पुस्तकें निर्धारित एक माह की अवधि के बाद भी जमा न करने पर विलंब शुल्क प्रतिदिन प्रति पुस्तक एक रूपये के हिसाब से दण्ड स्वरूप वसूला जायेगा ।

- विलंब शुल्क के साथ भी पुस्तकें अपने पास रखने की अंतिम सीमा 30 दिन है । इससे अधिक दिन के लिए पुस्तकें अपने पास रखने वाले छात्र–छात्राओं को ग्रंथालय के लिए अपात्र घोषित कर दिया जायेगा ।
- छात्र–छात्राओं द्वारा समाचार पत्र एवं पत्रिकाये निर्धारित स्थल पर ही पढ़ना अनिवार्य होगा ।
- संदर्भ ग्रंथ निर्गमित नहीं किये जायेंगे । तत्काल पढ़ने के लिए भी पत्र–पत्रिकाएं उचित प्रविष्टि करवाकर उपलब्ध हो सकेंगे ।
- छात्र–छात्राएं ग्रंथालय की पुस्तकों को भौतिक सत्यापन के पूर्व माह फरवरी के दूसरे सप्ताह तक अनिवार्य रूप से जमा कर देंगे । इस नियम का उल्लंघन करने पर छात्र–छात्राओं को भविष्य में ग्रंथालय से पुस्तकें देने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जायेगा ।

2.0 **बुक बैंक योजना –** महाविद्यालय के ग्रंथालय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्र–छात्राओं के लिए पृथक से बुक–बैंक योजना है । जिसमें महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात ही प्रवेश पत्र, परिचय पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र एवं बी.पी.एल. योजनान्तर्गत भी बी.पी.एल. कार्ड/निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर एक सत्र के लिए पुस्तकें प्राप्त की जा सकती है ।

3.0 **छात्रवृत्ति –** छत्तीसगढ़ शासन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रदाय की जाती है ।
इस हेतु नियत तिथि तक आवेदन पत्र आवश्यक अभिलेखों के साथ महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा । छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोला जाना आवश्यक है । अनु.जाति, अनु.जनजाति के छात्र/छात्राओं के पालक की वार्षिक आय अधिकतम 2.00 लाख एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों के पालकों की वार्षिक आय अधिकतम 1.00 लाख होने पर ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी । इस हेतु आवश्यक आय प्रमाण–पत्र भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा ।
इसके अतिरिक्त बी.पी.एल. छात्रों को भी छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदाय की जाती है ।

4.0 **राष्ट्रीय सेवा योजना –** महाविद्यालय में सत्र 2005–2006 से एन.एस.एस. की एक इकाई प्रारम्भ की गयी है जिसमें 100 छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है । रा. से. यो. के अन्तर्गत नियमित गतिविधि एवं विशेष शिविरों के माध्यम से छात्र/छात्राओं के व्यक्तित्व विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं ।

5.0 **खेलकूद –**

- महाविद्यालय में क्रीड़ा अधिकारी के मार्गदर्शन में विभिन्न खेलकूद गतिविधियों का संचालन किया जाता है ।
- महाविद्यालय के छात्र/छात्राये अंतर महाविद्यालयीन सेक्टर, संभाग, राज्य एवं विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हैं ।
- विश्वविद्यालय की टीम में प्रतिनिधित्व करने वाले महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय की क्रीड़ा समिति के निर्णयानुसार एक–एक ट्रेक शूट प्रदाय किया जाता है । इसके अतिरिक्त महाविद्यालय की तरफ से राज्य स्तर पर विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्र/छात्राओं को भी उनके प्रवेशावधि में एक बार ट्रेक शूट प्रदाय किया जाता है ।
- विभिन्न खेल विधाओं में चयनित छात्र/छात्राओं को क्रीड़ाधिकारी द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण प्रदाय किया जाता है ।

6.0 **यूथ रेडक्रास –** छात्र–छात्राओं के सर्वांगीण विकास एवं उनमें स्वप्रेषित सेवाभावना जागृत करने तथा रोगियों पीड़ितों तथा असहायों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाये जाने के उद्देश्य से महाविद्यालय में रेडक्रास की इकाई कार्यरत है ।

7.0 **मार्गदर्शन प्रकोष्ठ –** महाविद्यालय में मार्गदर्शन प्रकोष्ठ स्थापित है जिसके माध्यम से छात्र/छात्राओं को रोजगार मूलक पाठ्यक्रमों एवं रोजगार प्राप्ति के अवसरों की जानकारी हेतु मार्गदर्शन प्रदाय किया जाता है ।

सूचना का अधिकार – इस महाविद्यालय में सूचना का अधिकार लागू है । कोई भी जानकारी नियमानुसार शुल्क देकर प्राप्त कर सकते हैं ।

जनभागीदारी समिति – छत्तीसगढ़ शासन के नीति के अनुरूप महाविद्यालय के विकास में सहयोग हेतु जनभागीदारी समिति का गठन शासन के निर्देशों के अनुसार किया गया है । जनभागीदारी समिति महाविद्यालय के सतत विकास में सक्रिय है ।

शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर

-: महाविद्यालय के अधिकारियों की सूची :-

	नाम	पद
1.	डॉ. बी. एस. छाबड़ा	प्राचार्य
2.	डॉ. पतराम साहू	प्राध्यापक, इतिहास
3.	डॉ. श्रीमती एस. विश्वकर्मा	प्राध्यापक, हिन्दी
4.	डॉ. श्रीमती मल्लिका सूर	सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र
5.	डॉ. श्रीमती तरसीला खाखा	सहायक प्राध्यापक, समाज शास्त्र
6.	डॉ. अरूण प्रकाश	सहायक प्राध्यापक, भूगोल
7.	डॉ. श्रीमती एम. ताम्रकार	सहायक प्राध्यापक, हिन्दी
8.	डॉ. श्रीमती दिव्या चतुर्वेदी	सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी
9.	डॉ. श्रीमती एम.एस. टोप्पो	सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
10.	डॉ. रामानंद यदु	क्रीड़ाधिकारी
11.	डॉ. श्रीमती स्वाति साहू	सहायक प्राध्यापक, प्राणी शास्त्र
12.	डॉ. श्रीमती कृतिका ज्योति नामदेव	सहायक प्राध्यापक, वनस्पति शास्त्र
13.	श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव	सहायक प्राध्यपक, गणित
14.	डॉ. श्रीमती मोना चौहान	सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य
15.	डॉ. श्रीमती दीपा पाण्डेय चतुर्वेदी	सहायक प्राध्यापक, रसायन शास्त्र
16.	श्रीमती प्रतिमा राजीव	ग्रंथपाल

-: महाविद्यालय के कर्मचारियों की सूची :-

	नाम	पद
1.	श्री राजकुमार साहू	सहायक ग्रेड 02
2.	श्री शैलेन्द्र यदु	सहायक ग्रेड 03
3.	श्री वैभव तिवारी	सहायक ग्रेड 03
4.	श्री संजय परमार	प्रयोगशाला तकनीशियन
5.	वर्षा देवांगन	प्रयोगशाला तकनीशियन
6.	श्री टेकेश्वर साहू	भृत्य
7.	श्री लखन लाल देवांगन	भृत्य
8.	श्रीमती केवरा साहू	प्रयोगशाला परिचारक
9.	श्री संतोष कुमार	प्रयोगशाला परिचारक
10.	श्री ओमप्रकाश यादव	प्रयोगशाला परिचारक
11.	श्री बिसहत राम यादव	फर्राश
12.	श्रीमती प्रतिमा साहू	बुक लिफ्टर
13.	श्री लेमन कुमार पांडिया	स्वीपर

शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर

सत्र 2016–17

प्रवेश समिति

क्रमांक	कक्षा	अधिकारी का नाम
1.	बी. ए. प्रथम वर्ष	1. डॉ. पी. आर. साहू, प्राध्यापक इतिहास 2. डॉ. श्रीमती एम. ताम्रकार, सहा. प्राध्यापक हिन्दी 3. डॉ. श्रीमती महिमाती सालेन टोप्पो, सहा. प्राध्यापक अर्थशास्त्र
2.	बी. ए. द्वितीय वर्ष	1. डॉ. श्रीमती टी. खाखा, सहा. प्राध्यापक समाज शास्त्र 2. डॉ. अरूण प्रकाश, सहा. प्राध्यापक भूगोल
3.	बी. ए. तृतीय वर्ष	1. श्रीमती दिव्या चतुर्वेदी, सहा. प्राध्यापक अंग्रेजी
4.	बी.एस.–सी प्रथम / द्वितीय / तृतीय वर्ष बायो समूह	1. डॉ. श्रीमती स्वाति साहू, सहा. प्राध्यापक प्राणी शास्त्र 2. डॉ. श्रीमती कृतिका ज्योति नामदेव, सहा. प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र
5.	बी.एस.–सी प्रथम / द्वितीय / तृतीय वर्ष गणित समूह	1. डॉ. श्रीमती दीपा पाण्डेय चतुर्वेदी, सहा. प्राध्यापक रसायन शास्त्र 2. श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव, सहा. प्राध्यापक गणित
6.	बी. कॉम प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष	1. डॉ. श्रीमती मोना चौहान, सहा. प्राध्यापक वाणिज्य
7.	एम. ए. प्रथम/तृतीय सेमेस्टर हिन्दी	1. डॉ. श्रीमती एस. विश्वकर्मा, प्राध्यापक हिन्दी
8.	एम. ए. प्रथम/तृतीय सेमेस्टर राजनीति शास्त्र	1. डॉ. श्रीमती एम. सूर, सहा. प्राध्यापक राजनीति शास्त्र

(डॉ. बी. एस. छावड़ा)

प्राचार्य

शुल्क के प्रकार एवं दर :–

महाविद्यालय में प्रवेश के साथ ही विद्यार्थी सम्पूर्ण वर्ष के अध्ययन शुल्क के लिए उत्तरदायी है यदि किसी कारणवश वह वर्ष के बीच में ही अध्ययन छोड़ देता है तो अवशेष राशि उससे वसूल की जावेगी । साधारणतः किसी विशिष्ठ कारण के अभाव से राशि माफ नहीं की जायेगी ।

विभिन्न शुल्कों का विवरण :–

(अ) शासकीय शुल्क –

1. पूरे सत्र का शिक्षण शुल्क स्नातक कला संकाय		115.00 रूपये
2. पूरे सत्र का शिक्षण शुल्क बी.एस–सी.		115.00 रूपये
3. पूरे सत्र का शिक्षण शुल्क स्नातकोत्तर		135.00 रूपये
4. प्रायोगिक शुल्क बी.एस–सी. हेतु		20.00 रूपये
5. प्रवेश शुल्क		3.00 रूपये
6. महाविद्यालय परीक्षा स्टेशनरी शुल्क		2.00 रूपये
7. पुनः प्रवेश शुल्क		10.00 रूपये

(ब) अशासकीय शुल्क (महाविद्यालयीन शुल्क) –

1. छात्र संघ प्रवेश शुल्क		2.00 रूपये
2. छात्र कामन रूम फीस (वाचनालय फीस)		20.00 रूपये
3. स्नेह सम्मेलन		5.00 रूपये
4. महाविद्यालय विकास शुल्क		25.00 रूपये
5. सम्मिलित निधि	यूनियन	20.00 रूपये
	क्रीड़ा	12.00 रूपये
6. परिचय पत्र		10.00 रूपये
7. चिकित्सा शुल्क		3.00 रूपये
8. छात्र सहायता कोष		5.00 रूपये
9. विद्यार्थी बीमा		4.00 रूपये
10.रेडक्रास		25.00 रूपये
11. सायकल स्टैण्ड शुल्क		70.00 रूपये
12. आंतरिक मूल्यांकन शुल्क		20.00 रूपये

(स) विश्वविद्यालयीन शुल्क –

1. विश्वविद्यालयीन शारीरिक कल्याण शुल्क		150.00 रूपये
2. विश्वविद्यालयीन नामांकन शुल्क		150.00 रूपये
3. विश्वविद्यालयीन छात्र संघ शुल्क		1.00 रूपये

(द) स्थानीय जनभागीदारी समिति सहयोग रशि –

1. बी.ए., बी.एस–सी., प्रथम वर्ष एवं एम.ए. पूर्व		300.00 रूपये
2. बी.ए., बी.एस–सी., द्वितीय एवं तृतीय वर्ष, एम.ए. अंतिम		300.00 रूपये
3. धरोहर राशि	स्नातक कला एवं विज्ञान	60.00 रूपये
	स्नातकोत्तर	100.00 रूपये

(अप्रवासन शुल्क उन छात्रों को देय होगा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण की है ।)

नोट :– छात्राओं को स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षण शुल्क में छूट है ।